पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में स्थापित औषधि निर्माण शालाओं पर निगरानी की जा रही

लखनऊ : 10 अक्टूबर, 2025

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में स्थापित औषधि निर्माण शालाओं पर निगरानी करते हुए 37 कफ सिरप बनाने वाली निर्माता फर्म का निरीक्षण कर कुल 38 रॉ मैटिरेयल व 31 फिनिश् गुड के नमूनों को संग्रहीत किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद लखनऊ व सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ स्थित चार निर्माण शालाओं में औषधि के विनिर्माण में अन हाईजनिक कन्डीशन पाए जाने व औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार, अभिलेखों को मौके पर प्रस्तुत न कराए जाने के क्रम में निर्माता फर्म को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशान विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 04 वर्षों में संग्रहीत नमूनों की जांच में अन्य राज्यों द्वारा निर्मित कफ सिरप जैसे Digital vision, Himachal Pradesh, की Cold Best, Tulbros Formulation, Udham Singh Nagar, Uttrakhand की Bencet-D, Nexpar Pharma, Baddi, Himachal Pradesh की DOLO 250 सिरप, जिसमें इथिलीन ग्लॉकोल की सूक्ष्म मात्रा पाई गई थी एवं भारत सरकार की संस्था सी०डी०एस०सी०ओ द्वारा जारी किए गए अलर्ट में Rednex pharmaceutical, द्वारा निर्मित, Respifresh T R एवं Shape Pharma, गुजरात द्वारा निर्मित Relife कफ सिरप के भी भंडारण व विक्रय पर सतत निगरानी रखते हुए इन निर्माता फर्म के द्वारा निर्मित कफ सीरप के भी नमूने संग्रहीत किए गए हैं। जांच में Digital vision व Shape Pharma, द्वारा निर्मित किसी भी औषधि का भंडारण नहीं पाया गया।

अब तक प्रदेश में स्थापित औषधि विक्रय निर्माण शाला /प्रतिष्ठानों /नर्सिंगहोम /क्लीनिक विशेषतया बच्चों के अस्पतालों से कुल 595 कफ सिरप के नमूने परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किये गये। जिन्हे राजकीय प्रयोगशाला में जांच कराया जा रहा है। नमूनो की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

राज्य औषधि विभाग जनहित में औषधियों की गुणवत्ता की सतत निगरानी हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अमानक, नकली अथवा अपमिश्रित औषधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र– अजय द्विवेदी

राम यतन / 06:35 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in